

24.2.24

पञ्जावली पेशा कुजी / प्राची / प्राची
अधिकातर अनुपस्थित कार्ये / न्यायालय
समय में बार-बार आवार्जे लक्षवाली
गयी छिे भी न ले प्राचीगण को
न ही प्राचीगण के अधिकातर हाजिर
आये।

अतः पञ्जावली अहर्गत आवेशा 09
नियम 03 के तहत बारिज की जाती
हो पञ्जावली केवल दुमारे से नम्बर
से कम की जाकर दायित्व-दफ्तर हो।
निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास पुमाना
बापा (पञ्जावली)

